

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.11.2024*

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5996 द्वारा दो पक्षों में मारपीट/विवाद होने के कारण घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 5996 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत कटका से इवेंट सं0 52822 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के कारण घायल 02 व्यक्तियों (1- सत्यजीत पुत्र नागेन्द्र, 2- अर्चना पुत्री नागेन्द्र ग्राम कटका थाना महुली सन्तकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों का एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राजनाथ यादव, आ0 अनुराग यादव, हो0चा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 40 वाहनों से 54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 01.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 40 वाहनों से 54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।